

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)  
वाद पत्र सं0 : 337 सन 2021

अनवान :-

1. बनवारी पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. श्योकरण पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
3. अमीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
4. कमला पत्नी बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
5. मंजु पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
6. शकुन्तला पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
7. प्रमीला पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
8. सुमित्रा पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
9. कान्ता पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
10. राजेन्द्र कुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
11. सरोज पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
12. इन्द्राज पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
13. जीतसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर।
14. जगरसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
15. मगरसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
16. मनजीतसिंह पत्नी गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
17. कुलदीपसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
18. जगसीरसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
19. मलकीतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
20. मेघसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
21. महेन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
22. हरजेन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
23. छिन्द्रपालकोर पत्नी सौदागरसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
24. कुलविन्द्र सिंह पुत्र सौदागरसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
25. सुखविन्द्रसिंह पुत्र सौदागरसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
26. मनजीतकौर उर्फ कुलविन्द्र पुत्री छिन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना
27. पम्मी उर्फ परमजीतकोर पुत्री छिन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
28. जगवीरसिंह पुत्र छिन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह जाति जटसिख निवासी मेधाना तहसील नोहर
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ( राजस्व ) नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 53 ,राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, वादी  
श्री सन्तलाल तिवाडी अभिभाषक प्रतिवादी  
निर्णय दिनांक :- 28/04/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत वाद इस आष्य का पेश किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 298/285 के खसरा न0 183 की कुल 18.9190हेक् भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि में श्योकरण नन्दराम पि0 ख्यालीराम बहिब 1016 हिस्सा, अमीलाल इन्द्राज बनवारी पि0 ख्यालीराम बहिब 204 हिस्सा, सरोज पत्नी बनवारी 68 हिस्सा, कमला पत्नी बेगराज, मंजु शकुन्तला, प्रमिला, सुमित्रा, कान्ता, राजेन्द्र कुमार पुत्र बेगराज बहिब 68 हिस्सा,

जीतसिंह जगरसिंह, मगरसिंह पि० जोगेन्द्रसिंह 0.6630 हैव मनजीतकौर पत्नी गुरचरण 0.1110 हैव मलकीतसिंह मेधसिंह पि० अमरसिंह महेन्दकोर हरजेन्द्रकौर पुत्रीया अमरसिंह बहिब 0.5890 हैव, छिन्द्रपालकौर पत्नी सौदागरसिंह कुलविन्दसिंह सुखविन्दसिंह पि० सौदागरसिंह 0.1480 हैव मनजीतकौर उर्फ कुलविन्द्रकौर पम्पी उर्फ परमजीतकोर पुत्रीया छिन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह, जगवीरसिंह पुत्र छिन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह 0.1470 हैव वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण का खाता वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका तौर से दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने मुताबिक कब्जा काशत के अनुसार बाहमी बटवारा किया हुआ है और बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण भूमि काशत करते आ रहे हैं परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिसे अपने बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 को कई मर्तबा कहा की अपने बाहमी बटवारा के अनुसार मुश्तरका खाते की भूमि का खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार खाता तकसीम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए निवेदन किया वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि का खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 24 को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 13 ता 23, 25 ता 28 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये एवं निवेदन किया की पक्षकारों का आपस में राजीनामा पेश किया जा चुका है इसलिये जबाब पेश नहीं करना चाहते है वादी के वाद के अनुसार खाता विभाजन किया जाता है तो ऐतराज नहीं है राजीनामा स्टाम्प पर लिखा जाकर पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

उभयपक्षों का जबाब राजीनामा/ईकबाल /सहमति प्रस्तुत होने के बाद उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से काशत की सुविधा एवं कब्जा काशत को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी विभाजन किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काशत करते आ रहे हैं वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज किया जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 23, 25 ता 28 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में इकबाल एवं सहमति पेश की जा चुकी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 298/285 के खसरा न0 183 की कुल 18.9190हैक् भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादीगण ने सहमति पेश की जाकर निवेदन किया वादी एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद की मद संख्या 4 के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात् वादी का वाद काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा संख्या 183/7 की कुल 0.8600हैक् भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 183/1 की 1.5180हैक् भूमि एवं खसरा न0 183/3 की 4.9070हैक् कुल 6.4250हैक् भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा संख्या 183/2 की 1.518हैक् खसरा संख्या 183/4 की 4.9070हैक् कुल 6.4250हैक् भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 183/5 की कुल 0.8600हैक् भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 183/6 की 0.8600हैक् भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 11 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 183/8 की कुल 0.8600हैक् भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 12 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 183/9 की 0.8600हैक् भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 13 ता 28 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 183/10 की 1.7690हैक् भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

**पर्चा-डिक्री**

**व्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)**

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर ( आर०ए०एस०)

अनवान :-

1. बनवारी पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

**बनाम**

- 1 नन्दराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
- 2 श्योकरण पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 3 अमीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 4 कमला पत्नी बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 5 मंजु पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 6 शकुन्तला पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 7 प्रमीला पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 8 सुमित्रा पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 9 कान्ता पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 10 राजेन्द्र कुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 11 सरोज पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 12 इन्द्राज पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 13 जीतसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर।
- 14 जगरसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 15 मगरसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 16 मनजीतसिंह पत्नी गुरचरणसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 17 कुलदीपसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 18 जगसीरसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 19 मलकीतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 20 मेधसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 21 महेन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 22 हरजेन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 23 छिन्द्रपालकोर पत्नी सौदागरसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 24 कुलविन्द्र सिंह पुत्र सौदागरसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 25 सुखविन्द्रसिंह पुत्र सौदागरसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 26 मनजीतकौर उर्फ कुलविन्द्र पुत्री छिन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना
- 27 पम्मी उर्फ परमजीतकोर पुत्री छिन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 28 जगवीरसिंह पुत्र छिन्द्रकोर पुत्री अमरसिंह जाति जटसिंह निवासी मेधाना तहसील नोहर
- 29 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ( राजस्व ) नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

**राजस्व वाद संख्या 696 सन 2021 निर्णय दिनांक - 28/04/2022**

**वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा संख्या 183/7 की कुल 0.8600हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न० 183/1 की 1.5180हैक भूमि एवं खसरा न० 183/3 की 4.9070हैक कुल 6.4250हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा संख्या 183/2 की 1.518हैक खसरा संख्या 183/4 की 4.9070हैक कुल 6.4250हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न० 183/5 की कुल 0.8600हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न० 183/6 की 0.8600हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 11 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न० 183/8 की कुल 0.8600हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 12 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न० 183/9 की 0.8600हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 13 ता 28 के पास रोही मौजा मेधाना के खसरा न० 183/10 की 1.7690हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )